

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(47)एमई/गु. प-1/96


जयपुर, दिनांक : 28/7/17

आदेश

डॉ. (श्रीमती) निर्मला शर्मा, निलम्बित आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, कोटा को कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(2)(35)का. /क-3/शिका./14 दिनांक 18-7-2017 के द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया है। निलम्बन काल में डॉ. (श्रीमती) शर्मा का मुख्यालय मेडिकल कॉलेज, कोटा किया हुआ है।


अतः डॉ. (श्रीमती) निर्मला शर्मा के निलम्बन से बहाली पर इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा (आदेश की प्रतिक्षा) से मेडिकल कॉलेज, अजमेर में आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के पद पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

आदेश से,


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/कोटा।
5. डॉ. (श्रीमती) निर्मला शर्मा, आचार्य स्त्री एवं प्रसूति रोग (निलम्बित) मुख्यालय मेडिकल कॉलेज, कोटा को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव